राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकःएफ. 7(1)(2)/पंचा/रानिआ/2024/251 दिनांकः 07.01.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत) (कलक्टर) राजस्थान।

विषयः— पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 — निर्वाचक नामावलियों की तैयारी— निर्वाचक नामावली की प्रतियों की संख्या के संबंध में।

संदर्भः— आयोग का पत्रांक 5228 दिनांक 31.12.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव हेतु निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु विस्तृत दिशा—निर्देश प्रदान किए गए थे। उक्त पत्र के बिन्दु संख्या सी—24 में यह निर्देश प्रदान किए गए थे कि निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के समय निर्वाचक नामावलियों के एक—एक सैट हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए।

राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 17(3) के अनुसरण में निर्वाचक नामावलियों की प्रति राज्य में मान्यता प्राप्त दलों को उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश दिनांक 5453/27.11.2019 (सां. आ. 128/2019) के द्वारा निर्देश प्रदान किए गए है। इसके अतिरिक्त नियम—12 के अन्तर्गत निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद, जैसी भी स्थिति हो, के कार्यालय के अतिरिक्त इन संस्थाओं के वार्डो/निर्वाचन क्षेत्रों के एक या दो सहज दृश्य स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी। नियम 12(3) के अनुसार प्रारूप निर्वाचक नामावलियां संबंधित पंचायतीराज संस्थाओं एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों में आमजन के लिए निःशुल्क निरीक्षण हेतु भी उपलब्ध रखी जानी है।

इन उक्त नियमों के अनुसरण एव आयोग के पूर्व आदेशों के क्रम में निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि आगामी पंचायतीराज संस्थाओं के लिए तैयार की जा रही निर्वाचक नामावली के निम्नानुसार सैट तैयार किए जाएः—

क्रम संख्या	विवरण	सैट (प्रतियों) की संख्या
	प्रारूप निर्वाचक नामावलियां	
1.	प्रगणक को बूथ पर पठन व निरीक्षण के लिए	1
2.	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय हेतु	1
3.	पंचायतीराज संस्था के कार्यालय हेतु 1. ग्राम पंचायत कार्यालय के लिए 2. पंचायत समिति कार्यालय के लिए 3. जिला परिषद कार्यालय के लिए	3
4.	वार्डो/निर्वाचन क्षेत्रों में एक सहज दृश्य स्थान पर 1. ग्राम पंचायत के वार्ड में 2. पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र में 3. जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र में	3
	कुल संख्या	**8**

नोट – निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को फोटो रहित मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई जाए।		
अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावलियां पूरक/संशोधन सूची सहित		
1.	राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए (प्रत्येक दल के लिए एक प्रति)	8
2.	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय हेतु	1
3.	1. ग्राम पंचायत कार्यालय के लिए 2. पंचायत समिति कार्यालय के लिए 3. जिला परिषद कार्यालय के लिए	3
	कुल संख्या	12

उक्तानुसार निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां तैयार करने हेतु एक सैट लेजर प्रिंटर से तैयार करवा लिया जाए। नामावलियों की अन्य प्रतियां तैयार करने हेतु आप अपनी सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आप इनकी फोटो प्रतियां करवा लेवे अथवा प्रैस से मुदण कराया जा सकता है। इस हेतु लेखा नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही संपादित की जाए।

निर्वाचक नामावलियों को कार्यकारी प्रति तैयार करने हेतु आयोग के पत्रांक 7656 दिनांक 07.11.2014 के द्वारा निर्देश जारी किए हुए है। कार्यकारी प्रतियां तैयार करते समय उक्त पत्र में अंकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

7/1/26

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकःएफ. 7(1)(2)/पंचा/रानिआ/2024/252-256 दिनांकः 07.01.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
3. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल।
4. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजस्थान मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. समस्त कार्यालय ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद, राजस्थान मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।

07.01.2026

(अम्बा लाल मीणा)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान